न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.-074423258

मिसल नम्बर–25 / 2025

जीसीएमएस नं0– 2025 / 163

1.शंकरलाल पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट आयु 60 वर्ष निवारी ग्राम थावदकलां तह0 रावतभाटा जिला चितौड़गढ़

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् वाद पत्र।)

दिनांक..25/01/25

....

उपस्थितिः–

1.वादी स्वयं उपस्थित।

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना –पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नया 76 पुराना 72 खसरा नं0 351, 373, 374, 375, 422, 426, 556, 599, 600, 603, 610 कुल किता 12 की रकबा 20.21 है0 वाकै गाम धवदकलां पटवार हल्का धावदकलां भू0 अ0 नि0 क्षैत्र बडोदिया तह0 रावतभाटा जिलास चित्तौगढ़ राज0 में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम शंकरलाल पुत्र गंगाराम अंकित किया हुआ है, जो सही है। इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे खाता संख्या नया 115 पुराना खाता संख्या 112 के खसरा नं0 729 रकबा 0.51 है0 वाकै ग्राम गिरधरपुरा (बोरकुई) पटवार हल्का डोल्या भू0अ0नि0 क्षैत्र रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 में स्थित चल आ रही है। उक्त कुषि भूमि में प्रार्थी का नाम भवानी पुत्र गंगाराम अंकित कर दिया गया है, जो गलत नाम है, जिसे दुरूस्त करते हुऐ भवानी के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर शंकरलाल पुत्र गंगाराम अंकित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी का घरेलु व बोलता नाम भवानी है किन्तु प्रार्थी सभी दस्तावेज फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी का वास्तवीक नाम शंकरलाल दर्ज है, उक्त कृषि आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भवानी दर्ज हो रहा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम शंकरलाल है, जो दर्ज नकर सहवन प्रार्थी का घरेलु नाम भवानी दर्ज कर दिया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि उक्त

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का बोलता व घर का नाम भवानी पुत्र गंगाराम नाम सहवन से दर्ज हो गया है, जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शंकरलाल पुत्र गंगाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। इस कारण से राजस्व रिकॉर्ड में सहवनवश प्रार्थी का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से भवानी पुत्र गंगाराम दर्ज कर दिये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त भूमि के सबंध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने एवं उक्त भूमि को विकसित आदि करने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम भवानी पुत्र गंगाराम के स्थान पर वास्तविक नाम शंकरलाल पुत्र गंगाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना खाता संख्या 112 के खसरा नं0 729 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम गिरधरपुरा (बोरकुई) पटवार हल्का डोल्या भू0अ0नि0 क्षैत्र रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुऐ प्रार्थी का गलत व त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज नाम भवानी पुत्र गंगाराम के स्थान पर प्रार्थी का वास्तवीक नाम शंकरलाल पुत्र गंगाराम दर्ज किये जाने एवं तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सम्माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी पारित फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि प्रार्थी शंकरलाल पुत्र गंगाराम की ग्राम गिरधरपुरा (बोरकृई) में खाता सं0 115 नया खसरा नं0 729 रकबा 0.51 है0 जो कि पटवार मण्डल डोल्या में है। जिसमें प्रार्थी का नाम सहवन से भवानी पुत्र गंगाराम अंकित है जो कि गलत है प्रार्थी का वास्तविक सही नाम समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड पेन कार्ड राशन कार्ड में शंकरलाल पुत्र गंगाराम ही है मौके पर ग्राम वासीयों से पूछताछ करने पर भी बताया गया की भवानी एवं शंकरलाल दोनो एक ही व्यक्ति है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड प्रति का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि प्रार्थी शंकरलाल पुत्र गंगाराम की ग्राम गिरधरपुरा (बोरकृई) में खाता सं0 115 नया खसरा नं0 729 रकबा 0.51 है0 जो कि पटवार मण्डल डोल्या में है। जिसमें प्रार्थी का नाम सहवन से भवानी पुत्र गंगाराम अंकित है जो कि गलत है प्रार्थी का वास्तविक सही नाम समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड पेन कार्ड राशन कार्ड में शंकरलाल पुत्र गंगाराम ही है मौके पर ग्राम वासीयों से पूछताछ करने पर भी बताया गया की भवानी एवं शंकरलाल दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम गिरधरपुरा (बोरकुई) में खाता

उपखण्ड अधिकारी
को0

115 नया खसरा नं0 729 रकबा 0.51 है0 में खातेदार का नाम भवानी पुत्र गंगाराम के स्थान पर भवानी उर्फ शंकरलाल पुत्र गंगाराम दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनाक 25/06/21 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा